न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) फलोदी

बइजलास–श्रीमती पुष्पाकंवर सिसोदिया (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं. 462/2019

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
मगनलाल पुत्र श्री हीरालाल जाति–ब्राह्मण निवासी–ग्राम मलार तहसील–फलोदी जिला–जोधपुर		1. भैरूलाल पुत्र मोहनलाल जाति–ब्राह्मण निवासी–मलार तहसील–फलोदी जिला–जोधपुर 2. श्रीमान तहसीलदार, फलोदी

दावा अन्तर्गत धारा 15–एएए, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–
1. श्री सदीकखां अधिवक्ता वास्ते वादी
2. श्री पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक : 11/09/2019

वादी के वाद का सारांश इस प्रकार है कि ग्राम मलार पटवार क्षेत्र मलार तहसील फलोदी में खेत खसरा नं. 275 रकबा 15 बीघा भूमि आई हुई है, उक्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से राजस्व रेकर्ड में गैर खातेदारी में दर्ज चली आ रही है, उक्त वादग्रस्त भूमि को वादी ने प्रतिवादी सं. 1 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10–04–2006 को खरीद कर लिया था तथा वक्त खरीद से लेकर आज दिन तक उक्त वादग्रस्त भूमि पर वादी का बतौर खातेदार काश्तकार लगातार शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसमें आज दिन तक किसी ने भी किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं की है। वादी उक्त भूमि में प्रत्येक वर्ष काश्त के मौसम में काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग उपभोग करता आ रहा है, वादी ने उक्त वादग्रस्त भूमि को खरीद करने के पश्चात उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज करने हेतु विक्रय पत्र की प्रति पटवारी हल्का को प्रदान कर दी थी, लेकिन पटवारी हल्का ने आज दिन तक वादी का नाम उक्त वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में खातेदारी में दर्ज नहीं किया है। इसलिये वादी माफिक विक्रय पत्र दिनांक 10–04–2006 अपने नाम से खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है, दिनांक 14–08–2019 को जब वादी ने प्रतिवादी सं. 2 को उक्त वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम खातेदारी में दर्ज करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी सं. 2 ने इन्कार कर दिया इसलिये वादी को यह दावा बाबत खातेदारीं अधिकारों की घोषणा का पेश

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) फलोदी

Scanned by CamScanner

करना पड़ा, अन्त में निवेदन किया कि ग्राम मलार पटवार क्षेत्र मलार तहसील फलोदी में खेत खसरा नं. 275 रकबा 15 बीघा भूमि का वादी को माफिक विक्रय पत्र दिनांक 10–04–2006 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी सं. 1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया प्रतिवादी सं. 2 की ओर से पैरोकार सरकार तहसीलदार फलोदी ने वादी के वाद को स्वीकार कर गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार दिये जाने की अनुशंषा मय पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट पेश की है।

वादी के अधिवक्ता की अन्तिम बहस सुनी गई जिन्होनें वाद पत्र के तथ्यों को अपनी बहस में दोहराते हुए बताया कि ग्राम मलार स्थित खसरा नं. 275 रकबा 15 बीघा भूमि जो प्रतिवादी सं. 1 के खातेदारी अधिकारों की स्थित थी उसे वादी ने दिनांक 12–4–2006 को पंजीकृत विक्रय विलेख के जरिये क्रय किया था और अपने बहक निष्पादित पंजीकृत विक्रय विलेख की प्रति तत्कालीन पटवारी हल्का को नामान्तरकरण हेतु प्रदत कर दी थी और उस समय पटवारी हल्का ने जल्दी नामान्तरकरण वादी के नाम स्वीकार करने का आश्वासन दे दिया था वादग्रस्त काश्त भूमि पर वादी का आज रोज तक कब्जा काश्त चला आ रहा है हाल ही में वादी ने अपने राजस्व रेकर्ड की पुनः जांच पड़ताल की तो वादग्रस्त काश्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम गैर खातेदारी में दर्ज होने की जानकारी हुई तो वादी ने प्रतिवादी सं. 2 से मिलकर वादग्रस्त काश्त भूमि माफिक विक्रय पत्र वादी के नाम खातेदारी में दर्ज करने का नामान्तरकरण स्वीकृत करने का निवेदन किया तो उन्होनें न्यायालय में चाराजोही करने का कहा तो वादी ने यह दावा पेश किया है वादी ने एक खातेदार प्रतिवादी सं. 1 से उसके खातेदारी अधिकार क्रय किये है जो पंजीकृत विक्रय विलेख से साबित है, लेकिन वादी के नाम माफिक विक्रय पत्र नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया गया है वादी को वादग्रस्त काश्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त है और प्रतिवादी सं. 2 द्वारा भी प्रतिवादी सं. 1 के नाम गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज करने की अनुशंषा करने से भी वादी का वाद स्वीकार योग्य है वादी का वाद दस्तावेजी साक्ष्यों एवं अभिवचन से साबित है इसलिए डिक्री फरमावें।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) फलोदी

Scanned by CamScanner

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया कि दिनांक 12–4–2006 को वादी ने प्रतिवादी सं. 1 भैरूलाल पुत्र मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी मलार से वादग्रस्त खसरा नं. 275 रकबा 15 बीघा भूमि के खातेदारी अधिकार पंजीकृत विक्रय विलेख के जरिये क्रय किये है, उक्त विक्रय पत्र उप पंजीयक कार्यालय बाप में दिनांक 12–4–2006 को पुस्तक सं. I जिल्द सं. 54 क्रम सं. 547 पर पंजीयन किया जाना विक्रय पत्र दिनांक 12–4–2006 के अवलोकन से साबित है, जबकि वादग्रस्त भूमि की प्रमाणित जमाबंदी संवत 2071 से 2074 के अवलोकन से यह भूमि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादी को विक्रय की जाने के बावजूद भी प्रतिवादी सं. 1 के नाम गैर खातेदारी में गलत दर्ज होना पाई जाती है जब वादी ने प्रतिवादी सं. 1 के खातेदारी अधिकार क्रय कर विक्रय पत्र अपने बहक निष्पादित करवाकर उप पंजीयक कार्यालय बाप में पंजीयन करवाकर मौके पर वादग्रस्त काश्त भूमि का भौतिक कब्जा वर्ष 2006 में प्राप्त कर लिया था तो आज रोज तक प्रतिवादी सं. 2 द्वारा प्रतिवादी सं. 1 के नाम राजस्व रेकर्ड में भूमि गैर खातेदारी में दर्ज किया जाना विधि विरूद्ध तरीके से दर्ज होना पाया जाता है, उपरोक्त विचारण एवं अवलोकन से और वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और वाद अभिवचन से वादी का दावा डिक्री योग्य पाया जाता है।

आदेश

वाद वादी डिक्री किया जाता है ग्राम मलार तहसील फलोदी स्थित खसरा नं. 275 रकबा 15 बीघा काश्त भूमि में प्रतिवादी सं. 1 भैरूलाल पुत्र मोहनलाल जाति ब्राह्मण साकिन देह गैर खातेदार के स्थान पर वादी मगनलाल पुत्र हीरालाल जाति ब्राह्मण निवासी मलार को विक्रय पत्र दिनांक 12–4–2006 के माफिक खातेदार घोषित किया जाता है, तहसीलदार फलोदी तदनुसार निर्णय की पालना राजस्व रेकर्ड में करें, डिक्री पर्चा जारी हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 11/07/2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
फलोदी

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) फलोदी

Scanned by CamScanner